[2020] 4 एस. सी. आर 1

मनोज सुर्यवंशी

वी.

छत्तीसगढ़ राज्य

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 388)

05 मार्च, 2020

[उदय उमेश ललित, इंदिरा बनर्जी

और एम. आर. शाह, जे. जे.]

मामला यह था कि शिकायतकर्ता ने अपने लगभग 8 वर्ष, 6 वर्ष और 4 वर्ष की आयु के तीन नाबालिग बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई खोज के दौरान, पीडब्लू-8 ने कहा कि उसने नाबालिग बच्चों को अपीलार्थी के साथ उनके स्कूल के पास देखा-अपीलार्थी स्कूल में नहीं मिला। उसका घर और गाँव से भी लापता था उसके बाद अपीलार्थी से उसके मोबाइल पर संपर्क किया गया और उसने बताया कि वह 60 वर्ष का था

कि. मी. दूर-पुलिस ने मोबाइल के स्थान का पता लगाया और उसे पीडब्लू-13 के घर में पाया-अपीलार्थी के कहने पर, स्कूल बैग के साथ शव बरामद किए गए-निचली अदालतों द्वारा दोषी ठहरायाः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में सक्षम था कि तीनों नाबालिग सुबह स्कूल गए और उसके बाद वे लगभग 11.30 घंटे में घर के लिए रवाना हो गए-उसके बाद,

लगभग 1 घंटे बाद, अपीलार्थी को तीनों नाबालिग बच्चों के साथ देखा गया-अपीलार्थी और मृतक नाबालिग बच्चों के शिकायतकर्ता पिता के बीच पहले से दुश्मनी थी क्योंकि आरोपी की पत्नी शिकायतकर्ता के भाई के साथ भाग गई थी-आरोपी के पिता और बच्चे अपनी मां के बिना थे

उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, आरोपी द्वारा खुद दिखाए गए स्थान से स्कूल बैग आदि के साथ शव बरामद किए गए/पाए गए-आरोपी को किए गए फोन-कॉल को जांच अधिकारी से पूछताछ करके और मोबाइल कंपनी से कॉल विवरण पेश करके अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित और साबित किया गया-इन घटनाओं की श्रृंखला से यह निष्कर्ष निकला कि आरोपी ने पहले तीन नाबालिग बच्चों का अपहरण किया और उसके बाद उन सभी को मार डाला-दोषी ठहराए जाने के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।

सजा/सजाः मृत्युदंड-तीन नाबालिग बच्चों की हत्या के लिए दोषसिद्धि और मृत्युदंड-निर्णय लेने के लिए

[2020] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सजा का मुद्दा, बिगड़ती परिस्थितियों और कम करने वाली परिस्थितियों का पता लगाया जाना चाहिए और सही संतुलन अपनाया जाना चाहिए-तत्काल मामले में, कम करने वाले कारक/परिस्थितियां यह थीं कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक गड़बड़ी के प्रभाव में किया गया था-अपीलार्थी मृतक के चाचा के साथ अपनी पत्नी के भागने के कारण भावनात्मक रूप से परेशान था और वह

उसके बच्चे अपनी माँ की अनुपस्थिति में पीड़ित थे; कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी; अपराध करने के समय अपीलकर्ता की आयु 28 वर्ष थी और जेल में उसका आचरण अच्छा बताया गया था; वह एक गरीब परिवार से था और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, और उसकी बूढ़ी माँ अपनी बेटियों की देखभाल कर रही थी दूसरी ओर, राज्य द्वारा इंगित की गई एकमात्र भयावह परिस्थिति वह तरीका था जिसमें घटना हुई और तीन नाबालिगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई-इसके अलावा, राज्य की ओर से कोई अन्य उग्र परिस्थितियों का संकेत नहीं दिया गया था-इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से, अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति के बीच संतुलन बनाते हुए।

प्रमाणः साक्ष्य में मामूली विसंगतियाँ और विसंगतियाँ-आयोजितः अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियां और विसंगतियां और पुलिस के नेतृत्व में जांच में मामूली कमी पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने का कारण नहीं हो सकती है, अगर सबूत अन्यथा पर्याप्त हैं और आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए प्रेरक हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.235 (2)-उद्देश्य और उद्देश्य-आयोजितः एस का उद्देश्य और उद्देश्य। 235 (2) यह है कि

अभियुक्त को उस पर अधिरोपित दंडादेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिसकी उप-धारा (2)

एस। 235 एक दोहरे उद्देश्य को संतुष्ट करता है; यह अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनवाई का अवसर प्रदान करके प्राकृतिक न्याय के नियम को संतुष्ट करता है और साथ ही अदालत को दी जाने वाली सजा का चयन करने में मदद करता है-मनोज सुर्यवंशी बनाम का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य

कानून कि किसी भी मामले में उसी दिन दोषसिद्धि और सजा नहीं हो सकती है या यदि सजा उसी दिन दी जाती है जिस दिन दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, तो सजा को दूषित कर दिया जाएगा।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी की PW.18-तीन मृत नाबालिग बच्चों के पिता के साथ दुश्मनी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच करके इसे स्थापित और साबित किया गया है। P.W.18, P.W.20 और P.W.11। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि 11.02.2011 पर सभी नाबालिग मृतक अपने घर से स्कूल गए थे और लगभग 11.30 घंटों में, मृतक नाबालिग पैदल घर के लिए निकल गए; कि नाबालिग अपने घर नहीं लौटे। आई. डी. 1 पर लगभग आई. डी. 2 दोपहर-1 बजे, मृतकों को स्कूल की वर्दी में आरोपी के साथ अपने स्कूल बैग के साथ जाते देखा गया। इसलिए, आरोपी को आखिरी बार मृतक नाबालिगों के साथ देखा गया था। [पैरा 16] [26-डी-एफ]

1.2 अभियुक्त के खिलाफ अगला महत्वपूर्ण सबूत शवों की बरामदगी है जो दिखाए गए स्थानों से पाए गए थे।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी द्वारा। जाँच के दौरान, अभियुक्त द्वारा दिखाए गए स्थानों से शव पाए गए, जिन स्थानों के बारे में केवल अभियुक्त ही जान सकता था। इसलिए, अभियुक्त के कहने पर स्कूल की पोशाक और थैलों के साथ शवों की बरामदगी हुई है। यह प्रकटीकरण ज्ञापन से स्थापित और सिद्ध किया गया है।

इसलिए, उक्त परिस्थिति निश्चित रूप से अभियुक्त के खिलाफ है। [पैरा 18] [28-डी-ई]

1.3 एक अन्य परिस्थिति जो इसके विरुद्ध जाती है

आरोपी यह है कि तीन नाबालिगों के लापता होने की घटना के बाद

बच्चों, आरोपी अपने घर और यहाँ तक कि गाँव में भी नहीं मिला। 11.02.2011 की रात को आरोपी के मोबाइल पर 11.00 बजे किए गए फोन कॉल स्थापित किए गए हैं और उनके द्वारा साबित किए गए हैं

मोबाइल से कॉल विवरण प्रस्तुत करके अभियोजन पक्ष

कंपनी। अभियुक्त धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में इस पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। मोबाइल कंपनी के अधिकारी से पूछताछ न करने को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब सीडीआर [2020] 4 एस. सी. आर.

1.4 अभियुक्त के खिलाफ एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य P.W.13 का बयान है। तथ्य यह है कि आरोपी पाया गया था P.W.13 के घर से स्थापित और साबित किया गया है, इसके बावजूद कि P.W.13 शत्रुतापूर्ण हो गया है। कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार,

यहां तक कि शत्रुतापूर्ण गवाह के बयान पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिस हद तक यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है। आरोपी धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में अपहरण की घटना के बाद घर और यहां तक कि गांव से लापता होने के बारे में अपने आचरण की व्याख्या करने में विफल रहा है। वह यह भी समझाने में विफल रहा है कि वह P.W.13 के घर से क्यों मिला था। यह हो सकता है कि बचाव पक्ष द्वारा उस स्थान के बारे में कुछ संदेह पैदा किया गया हो जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, तथ्य यह है कि आरोपी को लखाराम गाँव से 13.02.2011 पर गिरफ्तार किया गया था। इसके तुरंत बाद, जाँच के दौरान

और प्रकटीकरण ज्ञापन के अनुसार, मृतक नाबालिग बच्चों के शव अभियुक्त के कहने पर बरामद किए गए थे। [पैरा 20] [29-डी, एफ-एच; 30-ए-बी]

2. मामूली अलंकरण हो सकता है, लेकिन कारण से भिन्नताओं को साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाना चाहिए। तुच्छ विसंगतियों को अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य को मिटाना नहीं चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि अलग-अलग गवाह अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं: जबकि कुछ अवाक हो जाते हैं; कुछ रोने लगते हैं जबकि कुछ अन्य घटनास्थल से भाग जाते हैं और कुछ जो साहस, दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ आगे आ सकते हैं कि गलत को ठीक किया जाना चाहिए। मानव प्रतिक्रिया का कोई निर्धारित पैटर्न या एक समान नियम नहीं हो सकता है और उसकी प्रतिक्रिया के एक निर्धारित पैटर्न के भीतर नहीं आने के आधार पर सबूत के एक टुकड़े को त्यागना अनुत्पादक है।

इसलिए, तथाकथित छोटी विसंगतियां/विरोधाभास अंततः अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करते हैं। इस तरह की छोटी विसंगतियों/विरोधाभासों का लाभ अभियुक्त को नहीं मिलना चाहिए, विशेष रूप से, जब मनोज सुर्यवंशी बनाम पर अन्य साक्ष्यों से।

अभिलिखित करें कि अभियुक्त का अपराध स्थापित और साबित हो गया है। [पैरा 21] [31-सी-एफ]

लीमा राम बनाम। हरियाणा राज्य ए. आई. आर 1999 एस. सी 3717:

[1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 435-पर निर्भर।

3. धारा 235 (2) Cr.P.C का उद्देश्य और उद्देश्य यह है कि अभियुक्त को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

उस पर लगाई जाने वाली सजा के खिलाफ। धारा 235 की उप-धारा (2) एक दोहरे उद्देश्य को संतुष्ट करती है; यह अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनवाई का अवसर प्रदान करके प्राकृतिक न्याय के नियम को संतुष्ट करती है और साथ ही अदालत को दी जाने वाली सजा का चयन करने में मदद करती है। कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि किसी भी मामले में एक ही दिन दोषसिद्धि और सजा नहीं हो सकती है। धारा 235 (2) Cr.P.C के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है।

सजा के प्रस्ताव के पहलू पर अलग से अभियुक्त। निचली अदालत ने आरोपी की ओर से बताई गई कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया था और उन गंभीर परिस्थितियों पर भी विचार किया था जो मौत की सजा की गारंटी देती हैं। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सजा पर अपना मामला रखने का कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाते समय कोई विशेष कारण नहीं बताया है। [पैरा 23,23.3] [32-बी-सी; 34-जी; 35-ए-बी]

अभियुक्त 'एक्स' वी। महाराष्ट्र राज्य (2019) 7 एस. सी. सी. 1; माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470:

[1983] 3 एससीआर 413-पर निर्भर।

सांता सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 190: [1977] 1 एस. सी. आर. 229; अलाउद्दीन मियां बनाम। बिहार राज्य (1989) 3 एससीसी 5: [1989] 2 एस. सी. आर. 498-लागू नहीं होता है।
4.1 मृत्युदंड देते समय ऐसा प्रतीत होता है कि

अपराध की क्रूरता को एक कारण माना जाता था न कि एकमात्र कारण। सजा के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, बिगड़ती परिस्थितियों और कम करने वाली परिस्थितियों का पता लगाया जाना चाहिए और सही संतुलन अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, निम्नलिखित कम करने वाले कारक/परिस्थितियाँ हैं: (i) कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था। आरोपी भावनात्मक रूप से [2020] 4 एस. सी. आर था।

मृतक के चाचा के साथ अपनी पत्नी के भागने के कारण परेशान था और उसके बच्चे अपनी माँ के अभाव में पीड़ित थे। एक गवाह के बयान से आरोपी इतना परेशान और परेशान था कि मोबाइल पर आरोपी ने बताया कि लापता बच्चों के पिता अपने बच्चों के बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। ((ii) कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। ((ग) अपराध के समय अभियुक्त की आयु 28 वर्ष थी और जेल में उसका आचरण है -

4.2 दूसरी ओर, राज्य द्वारा इंगित की गई एकमात्र चिंताजनक स्थिति यह है कि घटना का तरीका यह घटना हुई और तीन नाबालिगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उपरोक्त के अलावा, राज्य की ओर से कोई अन्य भयावह परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से, अपराध के समय आरोपी की मानसिक स्थिति और यह कि आरोपी अत्यधिक मानसिक स्थिति में था, बिगड़ती परिस्थितियों और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना।

मृतक के चाचा के साथ उसकी पत्नी के भाग जाने के कारण अशांति और उसके बच्चे अपनी माँ की संगति से वंचित थे, कम करने वाली परिस्थितियाँ आरोपी के पक्ष में हैं कि वह मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दे। यह सच है कि अदालत को समाज की पुकार का जवाब देना चाहिए और समझौता करना चाहिए

एक घृणित अपराध के लिए निवारक सजा क्या होगी। यह भी उतना ही सच है कि बड़ी संख्या में अपराधी जाते हैं

दंडित नहीं किया जाता है जिससे समाज और कानून में बढ़ते अपराधी अपने निवारक प्रभाव को खो देते हैं। यह भी सच है कि विचित्र

किसी मामले की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप अक्सर न्याय की विफलता होती है और न्याय वितरण प्रणाली संदिग्ध हो जाती है; अंतिम विश्लेषण में, समाज पीड़ित होता है और एक अपराधी प्रोत्साहित होता है। बचन सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखी गई कम करने वाली परिस्थितियों और वर्तमान मामले में कम करने वाली परिस्थितियों पर, यदि संचयी और अधिक विशेष रूप से विचार किया जाए, कि आरोपी मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अत्यधिक मानसिक अशांति में था, तो मृत्युदंड मनोज सूर्यवंशी बनाम है।

छत्तीसगढ़ राज्य

वारंट नहीं है और इसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए। आई. पी. सी. की धारा 302 और 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। यह आगे देखा और निर्देशित किया जाता है कि जीवन इसका अर्थ है आगे के अवलोकन और निर्देश के साथ जीवन के अंत तक कि जब तक अभियुक्त 25 साल का कारावास पूरा नहीं कर लेता, तब तक कोई छूट नहीं होगी। [पैरा 25.6,26] [42-बी-जी; 43-बी]

बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684; सुशील शर्मा बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) (2014) 4 एस. सी. सी. 317: [2013] 16 एस. सी. आर. 616; अबसार आलम बनाम। बिहार राज्य (2012) 2 एससीसी 728: [2012] 1 एससीआर 890-पर निर्भर। मोहम्मद. चमन वी। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2001) 2 एस. सी. सी. 28; आलोक नाथ दत्ता बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य (2007) 12 एस. सी. सी. 230 [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 662; पंजाब राज्य बनाम मंजीत सिंह (2009) 14 एससीसी 31: [2009] 9 एससीआर 864;

संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2009) 6 एस. सी. सी. 498: [2009] 9 एससीआर 90; सेबेस्टियन बनाम। केरल राज्य (2010) 1 एस. सी. सी. 58; रमेश बनाम। राजस्थान राज्य (2011) 3 एससीसी 685: [2011] 4 एस. सी. आर. 585; मोहिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2013) 3 एस. सी. सी. 294 [2013] 3 एस. सी. आर. 90; दिगंबर वैष्णव बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 4 एससीसी 522 [2019] 2 एससीआर 844; अंजन कुमार सरमा बनाम। असम राज्य (2017) 14 एस. सी. सी. 359 [2017] एस. सी. आर. 991; गणपति सिंह बनाम। की स्थिति मध्य प्रदेश (2017) 16 एस. सी. सी. 353 [2017] 9 एस. सी. आर. 706; छन्नू लाल वर्मा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2019)

(2012) 8 एससीसी 43: [2012] 10 एससीआर 70; गुरवेल सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2013) 2 एससीसी 713: [2013] 1 एससीआर 783; अमित बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 4 एससीसी 107: [2012] 1 एस. सी. आर. 1009; कालू राम बनाम। राजस्थान राज्य (2015) 16 एस. सी. सी. 492; सुदाम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 एससीसी 388; बाबा विश्वकर्मा बनाम। एम. पी. राज्य

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2019) 9 एस. सी. सी. 689; शेख अयूब बनाम महाराष्ट्र राज्य (1998) 9 एस. सी. सी. 521; धर्मेंद्रसिंह बनाम। गुजरात राज्य

(2002) 4 एससीसी 679: [2002] 3 एस. सी. आर. 193; नेमू राम बोरा वी. असम और नागालैंड राज्य (1975) 1 एससीसी 318;

ब्रजेंद्र सिंह बनाम। एम. पी. राज्य (2012) 4 एस. सी. सी. 289:

[2012] 3 एस. सी. आर. 599-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 2 एससीआर 844

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.8

[2017] एससीआर 991

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.8

[2017] 9 एससीआर 706

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.8

[2018] 14 एससीआर 355

पैरा 7.1

संदर्भित किया गया है

[1977] 1 एससीआर 229

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

7.1

[2011] एससीआर 92

पैरा

7.1

संदर्भित किया गया है

[2012] 10 एससीआर 70

पैरा

7.1

संदर्भित किया गया है

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

उस पर भरोसा करें

पैरा

7.2

[2013] 1 एससीआर 783

संदर्भित किया गया है

पैरा

7.4

[2012] 1 एससीआर 1009

पैरा

7.5

संदर्भित किया गया है

(2015) 16 एससीसी 492

पैरा

7.5

संदर्भित किया गया है

(2019) 9 एस. सी. सी. 388

संदर्भित किया गया है

पैरा

7.5

(2019) 9 एस. सी. सी. 689

पैरा

7.5

संदर्भित किया गया है

(1998) 9 एस. सी. सी. 521

संदर्भित किया गया है

पैरा

7.9

[1989] 2 एससीआर 498

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

7.9

[2002] 3 एससीआर 193

पैरा

7.9

संदर्भित किया गया है

(1975) 1 एस. सी. सी. 318

संदर्भित किया गया है

पैरा

7.9

[2012] 3 एससीआर 599

संदर्भित किया गया है

पैरा

7.9

[1999] 3 पूरक। एससीआर 435

उस पर भरोसा करें

पैरा

21

(2019) 7 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[1983] 3 एससीआर 413

संदर्भित किया गया है

पैरा

25.2

(2001) 2 एससीसी 28

संदर्भित किया गया है

पैरा 25.2 मनोज सुर्यवंशी बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[2006] 10 पूरक। एससीआर 662

संदर्भित किया गया है

पैरा

25.2

[2009] 9 एससीआर 864

पैरा

25.2

संदर्भित किया गया है

[2009] 9 एससीआर 90

संदर्भित किया गया है

पैरा

25.2

(2010) 1 एससीसी 58

पैरा

25.2

संदर्भित किया गया है

[2011] 4 एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा

25.2

[2013] 3 एससीआर 90

संदर्भित किया गया है

पैरा

25.2

[2013] 16 एससीआर 616

पैरा

25.2

उस पर भरोसा करें

[2012] 1 एससीआर 890

उस पर भरोसा करें

पैरा

25.3

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

388 2020 से।

उच्च न्यायालय के 08.08.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की आपराधिक अपील सं. 550 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का।

श्री सिंह, सुश्री मेनका खन्ना, अमर्त्य कांजीलाल और अभिमन्यु

श्रेष्ठ, एड. अपीलार्थी के लिए।

प्रणव सचदेवा, सुश्री नेहा राठी और जतिन भारद्वाज, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और 2013 की आपराधिक अपील सं. 550 और 2013 की आपराधिक संदर्भ सं. 05 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलकर्ता मूल अभियुक्त द्वारा की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है और शिकायतकर्ता शिवलाल के तीन नाबालिग बच्चों की हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए और आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और मौत की सजा की पुष्टि की है, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 11.02.2011 पर सुबह 7 बजे,

शिवलाल के दो बेटे-मूल शिकायतकर्ता-विजय की उम्र लगभग 8 साल, [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लगभग 6 साल के अजय और लगभग 4 साल की कुमारी साक्षी ने करैहपारा में स्कूल जाने के लिए दारीपारा में अपना घर छोड़ दिया और स्कूल पहुंच गए। सुबह 11.30 बजे स्कूल खत्म होने पर, तीनों नाबालिग पैदल ही स्कूल से घर के लिए निकल पड़े। जब वे घर नहीं पहुंचे तो शिवलाल ने आसपास के बच्चों की तलाश की और स्कूल जाकर बच्चों के बारे में पूछताछ की। स्कूल में पूछताछ करने पर, नाबालिग बच्चों के शिक्षकों ने शिवलाल को बताया कि तीनों नाबालिग स्कूल आए थे और स्कूल खत्म होने पर वे पैदल ही स्कूल से घर के लिए निकल गए थे। इसके बाद शिवलाल और अन्य लोगों ने तीन नाबालिगों की तलाश की। तीन नाबालिग बच्चों को न मिलने पर, शिवलाल-P.W.18 पुलिस स्टेशन, रायपुर गया और लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई। लापता व्यक्ति की रिपोर्ट डेली जर्नल में दर्ज की गई थी। पी-18) सिर द्वारा

सिपाही कृष्ण कुमार कोशले-P.W.17। खोजबीन के दौरान तीन

नाबालिग बच्चों, अशोक पटेल-पी. डब्ल्यू. 8 ने कहा कि उन्होंने नाबालिग बच्चों को अपीलार्थी-आरोपी के साथ स्कूल के पास देखा था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आई. डी. 3 पर रामेश्वर-आई. डी. 2 ने आरोपी से सेल फोन पर संपर्क किया और उससे बात की और आरोपी ने शिवलाल से पूछा-आई. डी. 1 जब उसके बच्चे लापता हैं तो वह कैसा महसूस कर रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी शिवलाल के घर में मजदूर के रूप में काम कर रहा था। यह आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त की पत्नी, अर्थात् सुमित बाई, शिकायतकर्ता के छोटे भाई, अर्थात् शिवनाथ धीवर के साथ भाग गई और बदला लेने के उद्देश्य से, अपीलार्थी ने नाबालिगों का अपहरण कर लिया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। एफ. आई. आर.-Ex.24 उनके खिलाफ दर्ज की गई थी। शुरू में आई. पी. सी. की धारा 363 और 364 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी से उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया। 9179484724. आरोपी को फोन आया और उसने बताया कि वह 60 किलोमीटर दूर है। जाँच अधिकारी-P.W.24 ने अपराध शाखा के हेड कांस्टेबल हेमंत आदित्य को उक्त मोबाइल नंबर का पता लगाने और उसका स्थान बताने के लिए कहा। फिर हेड कांस्टेबल हेमंत आदित्य ने उक्त मोबाइल की लोकेशन का पता लगाया और लोकेशन गांव लखराम के पास मिली। कि, इसके बाद जांच दल आरोपी के एक रिश्तेदार अशोक कुमार मधुखर-P.W.13 के घर गया। शुरुआत में आरोपी घर पर नहीं था। हालाँकि, इसके बाद खोज जारी रखते हुए, वे फिर से उक्त अशोक कुमार मधुकर के घर गए। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उसके बाद आरोपी को पाया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया। गवाहों की उपस्थिति में उनसे पूछताछ की गई। साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत बयान का एक ज्ञापन दर्ज किया गया था। ज्ञापन Ex.P.2 के आधार पर और मनोज सूर्यवंशी v.

आरोपी, कराईहापाड़ा में बंजर भूमि में-एक दामोदर बेलदार के खेत में, तीन नाबालिगों के शव घटनास्थल से बरामद किए गए। जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान आपत्तिजनक सामग्री एकत्र की। आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। जाँच अधिकारी ने तीन नाबालिगों के शवों का पंचनामा किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉ. ए. एम. श्रीवास्तव-P.W.23 ने पोस्टमार्टम किया। तीन नाबालिगों की मौत का कारण गला घोंटना था और मौतों को हत्या पाया गया। जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी को आरोपी के मोबाइल फोन का कॉल विवरण-Ex.P.30 प्राप्त हुआ। जाँच के दौरान जाँच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसमें मूल शिकायतकर्ता शिवलाल और अन्य का बयान भी शामिल था। कि अभियुक्त को दिनांकित 13.02.2011 ज्ञापन के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। जाँच के समापन के बाद, यह पाया गया कि आरोपी ने पहले अपहरण किया था और उसके बाद बदला लेने के लिए तीन नाबालिगों की हत्या कर दी थी क्योंकि उसकी पत्नी शिकायतकर्ता शिवलाल के भाई के साथ भाग गई थी और इस तरह आई. पी. सी. की धारा 302 और धारा 364 के तहत दंडनीय अपराध कर रही थी। जाँच अधिकारी ने उपरोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था। अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए उस पर उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

4. अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष

निम्नानुसार 24 गवाहों की जाँच की गईः

पी. डब्ल्यू. नहीं।	का नाम और तिथि विस्थापन	नाबालिग को देखने वाला गवाह
पी. डब्ल्यू. 1	प्रीतम धीवर 15.06.2011	अभियुक्त के साथ बच्चे आखिरी बार। स्वतंत्र गवाह
पी. डब्ल्यू. 2	हाफ़िज़ अली 16.06.2011	स्वतंत्र गवाह
पी. डब्ल्यू. 3		

फरुख खान

16.06.2011

पूजा तिवारी

नाबालिगों को छोड़ने का गवाह

पी. डब्ल्यू. 4

घर के लिए एक साथ स्कूल

16.06.2011

स्कूल जाने के बाद पैर ऊपर।

जिलानी बेग

नाबालिगों को छोड़ने का गवाह

पी. डब्ल्यू. 5

घर के लिए एक साथ स्कूल

17.06.2011

स्कूल जाने के बाद पैर ऊपर।

रजिस्टरों की जब्ती का गवाह

कृष्ण कुमार यादव

पी. डब्ल्यू. 6

उपस्थिति के बारे में

17.06.2011

स्कूल में नाबालिग।

0] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दामोदर सिंह

रिकॉर्ड करने का गवाह

पी. डब्ल्यू. 7

अभियोजन पक्ष के बयान

08.08.2011

धारा 161 के तहत गवाह

Cr.P.C।

पी. डब्ल्यू. 8

अशोक पटेल

नाबालिग को देखने वाला गवाह

अभियुक्त के साथ बच्चे

08.08.2011

पिछली बार।

इमरत सिंह

पी. डब्ल्यू. 9

नाबालिग के मामा

बच्चे।

11.08.2011

नाबालिगों को छोड़ने का गवाह

श्वेता तिवारी

P.W.10

पैदल चलकर घर के लिए एक साथ

स्कूल

12.08.2011

स्कूल खत्म होने के बाद।

P.W.11

रामेश्वर

स्वतंत्र गवाह

12.08.2011

आशीष कुमार गुप्ता

गवाह जिसने संचालन किया

P.W.12

शवों की तस्वीरें

20.9.2011

नाबालिगों को।

की उपस्थिति का गवाह

अशोक कुमार मधुरकर

P.W.13

अभियुक्त अपने घर में

20.09.2011

लखराम और उसका छिपा हुआ होना।

नक्शा तैयार करने का गवाह

भरत लाल दीवानगन

P.W.14

घटना स्थल से।

21.09.2011

अनिल शितलानी

मोबाइल जब्त होने का गवाह

P.W.15

अभियुक्त का फोन।

21.09.2011

P.W.16

भारत लाल चंद्रवंशी

के शवों का गवाह

नाबालिगों को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है

22.09.2011

पोस्टमार्टम के लिए

P.W.17

कृष्ण कुमार कोशले

मुखिया-सिपाही जो

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की

22.09.2011

दैनिक पत्रिका

नाबालिग बच्चों के पिता।

P.W.18

शिवलाल धीमर

16.11.2011

रिकॉर्डिंग का गवाह

संतोष कुमार यादव

P.W.19

जाँच के दौरान बयान

17.11.2011

गुम रिपोर्ट।

| स्मिट मनीषा धीमर

मृतक नाबालिग की मां

P.W.20

बच्चे।

17.11.2011

पद का संचालन करने वाले डॉक्टर

डॉ. ए. के. श्रीवास्तव

P.W.21

शव का अंतिम संस्कार किया और पद दिया

18.11.2011

शव परीक्षण रिपोर्ट।

लव कुश कश्यप

रिकॉर्ड करने का गवाह

P.W.22

अभियोजन पक्ष के बयान

09.01.2012

धारा 161 के तहत गवाह Cr.P.C।

पद का संचालन करने वाले डॉक्टर

P.W.23

डॉ. ए. एम. श्रीवास्तव

शव का अंतिम संस्कार किया और पद दिया

17.02.2012

शव परीक्षण रिपोर्ट।

जाँच अधिकारी

बी. कुजूर

P.W.24

17.02.2012 मनोज सुर्यवंशी बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

4.1 मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड में उतने ही लाए जितने

41 दस्तावेजी साक्ष्य। प्रासंगिक साक्ष्य इस प्रकार हैं:

एस. एल. नहीं।

विवरण

पूर्व. नहीं।

4 .

मृतक के दिनांकित उपस्थिति रजिस्टर का जब्त ज्ञापन

Ex.P1

17.02.2011 दोपहर 3:30 बजे

Ex.P2

अभियुक्त का ज्ञापन दिनांक 13.02.2011

5 .

स्कूल बैग, प्लास्टिक की बोतल और मिट्टी का मेमो जब्त करें जहाँ से। Ex.P5

8 .

अजय का शव मिला है।

मृतक अजय की पूछताछ/पंचनामा

Ex.P7

10 .

मृतक विजय की पूछताछ/पंचनामा

Ex.P9

12 .

मृतक साक्षी की पूछताछ/पंचनामा

14 .

Ex.P11

पटवारियों द्वारा तैयार किया गया स्थल मानचित्र

18 .

Ex.P12

Ex.P13

गवाहों की उपस्थिति में स्थल मानचित्र का पंचनामा

19 .

अभियुक्त के मोबाइल फोन का मेमो जब्त

20 .

Ex.P14

23 .

लापता व्यक्ति की शिकायत दिनांक 12.02.2011 पीडब्लू 18, Ex.P16 द्वारा दायर की गई

शिवलाल

रोजनामचा

Ex. 18 सी.

24 .

पी. एस. EX.P25 द्वारा आई. पी. सी. की धारा 363,364 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 64/2011

31 .

रतनपुर

34 .

गिरफ्तारी ज्ञापन दिनांकित 13.02.2011

Ex.P28

रिश्तेदार की गिरफ्तारी की सूचना

35 .

Ex.P29

36 .

Ex. पी30

सीडीआर

39 .

एफएसएल रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट

Ex.P33

41

गाँव का नक्शा

कला. ए.

4.2 अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य को बंद करने के बाद, आगे

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया। अभियुक्त का मामला पूरी तरह से नकारने का था। उन्होंने अपने बचाव के समर्थन में किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की। कि, इसके बाद, साक्ष्य की सराहना करने और अभियुक्त को पूरा अवसर देने पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 और 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। उग्रता और शमन पर विचार करने के बाद

परिस्थितियों और सजा की मात्रा पर अभियुक्त को सुनने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की संदर्भ संख्या 05 के रूप में गिना गया था। के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि, मूल अभियुक्त ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी, जो 2013 की आपराधिक अपील संख्या 550 थी। अभियुक्त द्वारा दायर अपील के साथ-साथ संदर्भ मामले दोनों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ की गई थी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और मृत्युदंड की पुष्टि की है। अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि करते हुए, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. अपीलार्थी मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिंह ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों में और

मामले की परिस्थितियों में, विद्वत विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थी-मूल अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 और धारा 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है।

5.1 यह आगे अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है-मूल

आरोप लगाया कि दोनों न्यायालयों को यह स्वीकार करना चाहिए था कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और पूरी सजा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, जब तक कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला पूरी नहीं हो जाती है, जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल आरोपी ही है जिसने अपराध किया है, किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला बनाने में विफल रहा है और उदाहरण जो विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि अपीलार्थी केवल अपराध करने का दोषी था।

5.2 यह आगे अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है-मूल

आरोप लगाया कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अपीलार्थी-मूल अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 8, पी. डी. 2, पी. डी. 1 और पी. डी. 3 और अन्य चश्मदीद गवाहों पर भरोसा करते हुए तीन नाबालिग बच्चों की हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 302 और धारा 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने में भौतिक रूप से गलती की है।

5.3 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अपीलार्थी की ओर से-मूल अभियुक्त कि अपीलार्थी के खिलाफ मामला परिस्थितियों के तीन सेटों पर आधारित हैः (i) अंतिम बार देखे गए साक्ष्य; (ii) प्रकटीकरण ज्ञापन के अनुसार शवों की बरामदगी और (iii) कथित कॉल

लापता बच्चों की खोज के दौरान अपीलार्थी को भेजा गया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी को किए गए कॉल और P.W.13 की गवाही का उपयोग अपीलार्थी द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में करने की मांग की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की अतिरिक्त न्यायिक रियायत कानून में स्वीकार्य नहीं है।

5.4 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अपीलार्थी की ओर से-मूल अभियुक्त कि अंतिम बार देखे गए साक्ष्य को स्थापित करने और साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 के बयानों पर भरोसा किया है, जिनके साक्ष्य भौतिक विरोधाभासों से भरे हुए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक अंतिम बार देखे गए साक्ष्य का

संबंध है, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 के बयानों पर बहुत अधिक भरोसा करने में भौतिक रूप से गलती की है।

5.5 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक पी. डब्ल्यू. 1 का संबंध है, उसने विशेष रूप से कहा है कि वह अदालत में पहली बार भौतिक साक्ष्य दे रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि एक अन्य गवाह-सूर्य प्रताप धीमर पी. डब्ल्यू. 1 के साथ 11.02.2011 पर मौजूद थे, अभियोजन पक्ष ने उक्त गवाह से पूछताछ नहीं करने का फैसला किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 1 न तो विश्वसनीय है और न ही विश्वसनीय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक उद्धृत गवाह सूर्य प्रताप धीमर को छोड़ने के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है।

5.6 अब, जहाँ तक पी. डब्ल्यू. 8, जो दूसरा अंतिम बार देखा गया गवाह है, के बयान पर निर्भरता का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 8 में कहा गया है कि उसने पी. डब्ल्यू. 9-इमरत सिंह @मुंगीलाल को सूचित किया है कि उसने आरोपी को मृतक के साथ देखा है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 9 ने किसी भी व्यक्ति का नाम जानने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। अशोक के रूप में, जहाँ वे रहते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने पुष्टि की है कि उनकी अशोक के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष पी. डब्ल्यू. 8 के अनुसार

लापता बच्चों को देखने के बारे में P.W.18 और अपने दोस्तों-पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 को सूचित किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 2 में कहा गया है कि वे

ढोलपारा के पास शाम करीब 6:30 बजे अशोक पटेल से मुलाकात की, लेकिन उनके क्रूस पर

5.7 यह आगे अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने नहीं किया है कथित दृष्टि के बीच भौगोलिक निकटता साबित हुई

अपीलार्थी और बच्चों का निवास स्थान; उनका स्कूल या वह स्थान जहाँ शव बरामद किए गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि जिन खेतों में शव पाए गए थे, वे उसी दिशा में थे जब बच्चे चल रहे थे जब उन्हें कथित रूप से देखा गया था।

5.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा चिकित्सा साक्ष्य का निष्कर्ष है कि बच्चों की मृत्यु का समय 11.02.2011 को दोपहर 12 बजे से 11/12.02.2011 की दरम्यानी रात की आधी रात के बीच था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इस अवधि की शुरुआत में कथित रूप से देखा जाना मृत्यु के समय के निकट नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 11.02.2011 दिनांकित लापता व्यक्ति की शिकायत भी अंतिम बार देखी गई शिकायत को संदर्भित नहीं करती है।

सबूत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे रोज़नामचा पर सुबह 9:40 बजे 12.02.2011 पर दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अपहरण के संदेह पर रोजनामचा चुप है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो

शिकायत और न ही रोजनामचा में अपीलार्थी और P.W.18 के बीच कथित कॉल के संबंध में कोई अंतिम बार देखा गया सबूत या सबूत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 12.02.2011 पर 11.40 शाम को दर्ज की गई एफ़. आई. आर. में पी. डब्ल्यू. 8 का उल्लेख है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए पी. डब्ल्यू. 8 का अंतिम बार देखा गया साक्ष्य पहली बार केवल के हस्तक्षेप पर दर्ज किया जाता है

12-13.02.2011 , जो अपीलार्थी की गिरफ्तारी का समय भी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्थापित कानून है कि पिछली बार एक साथ देखी गई परिस्थिति अपने आप में दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है और केवल एक दोषपूर्ण परिस्थिति हो सकती है। इसके समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दिगंबर वैष्णव बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 4 एस. सी. सी. 522, अंजन कुमार सरमा बनाम। असम राज्य (2017) 14 एस. सी. सी. 359 और गणपत सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2017) 16 एससीसी 353। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों में बताए गए सिद्धांतों के आलोक में, पी. डब्ल्यू. 8 की गवाही विश्वास को प्रेरित नहीं करती है और अंतिम साक्ष्य के रूप में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

5.9 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अपीलार्थी की ओर से कि अपीलार्थी के खिलाफ नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा विचार की गई एक अन्य परिस्थिति कॉल और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति है।

5.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के खिलाफ साक्ष्य संदर्भित करता है

अपीलार्थी को शामिल करने वाले दो कॉल। पहला कॉल अपीलार्थी और P.W.11 के बीच होता है और दूसरा कॉल अपीलार्थी और P.W.18 के बीच होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि P.W.11 के कॉल के संबंध में, P.W.11 स्पष्ट रूप से बताता है कि कॉल रात में 12.02.2011 पर थी जब अपीलार्थी पुलिस की हिरासत में था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब निचली अदालत द्वारा उनकी फिर से जांच की गई तो उन्होंने अपने बयान में और सुधार किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो पीडब्लू. 2 और न ही P.W.18 ने इस कॉल की गवाही दी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो तथ्य और न ही इस कॉल की सामग्री अपीलार्थी को दी गई थी

धारा 313 Cr.P.C के तहत उनकी जाँच के दौरान।

5.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया है

अपीलार्थी के सी. डी. आर.-Ex.P30 (कॉल विवरण रिपोर्ट) के उद्धरण, जिसमें 12.02.2011 पर किया गया या प्राप्त कोई कॉल नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी सी. डी. आर. का उत्पादन जांच के माध्यम से होता है। अधिकारी जो बदले में हेड कांस्टेबल हेमंत आदित्य से इसे प्राप्त करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीडीआर प्राप्त करने के तरीके को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. डी. आर. के साथ भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र नहीं है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सीडीआर Ex.P30 में निहित कॉल/कॉल विवरण न तो विश्वसनीय हैं और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए गए हैं।

5.12 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक P.W.18 का संबंध है, उसने 11.2.2011 पर अपीलार्थी को अपने द्वारा किए गए कॉल का आरोप लगाया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त कॉल की किसी अन्य गवाह द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। यह है।

उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के संदर्भ में अस्वीकार्य होगी, भले ही कथित स्वीकारोक्ति किसी से भी की गई हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इस तरह के कॉल विवरण और/या संबंधित गवाहों को दिए गए कथित स्वीकारोक्ति के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराने में भौतिक रूप से गलती की है। 6. अब, जहाँ तक मृतक नाबालिगों के शवों की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त

एक खुले क्षेत्र से वसूली की गई थी जिसे पहले खोजा गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून के तय किए गए पूर्वसर्ग के अनुसार वसूली [2020] 4 एस. सी. आर.

एक खुली जगह से बनाया गया, सभी के लिए सुलभ और जो अभियुक्त की अनन्य जानकारी में नहीं है, दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थी के कहने पर शवों की बरामदगी संदेह से भरी है। 6.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि न तो पीडब्लू. 7 और न ही P.W.22 जो प्रकटीकरण ज्ञापन के स्वतंत्र गवाह हैं और अन्य सभी

11.01.2011 और 12.1.2011 की दरम्यानी रात को वसूली की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज, वसूली को समर्थन देते हैं। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

पी. डब्ल्यू. 7 ने विशेष रूप से कहा है कि उन्होंने पुलिस के कहने पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें मामले के बारे में पता नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने आगे कहा है कि दस्तावेजों को पढ़ा नहीं गया था

पुलिस द्वारा उसे और यह कि पुलिस द्वारा जब्ती के लिए उपस्थित रहने के लिए कोई नोटिस/समन नहीं दिया गया था।

6.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि P.W.22 को उस तारीख को भी याद नहीं है जिस दिन कथित घटनाएँ हुईं थीं।

6.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वसूली से संबंधित सभी कार्यवाही

ये पूर्व-दिनांकित हैं और यह स्वयं P.W.22 के साक्ष्य से साबित होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि P.W.22 में कहा गया है कि अभियुक्तों से पूछताछ 12.02.2011 पर रात 9 बजे तक जारी रही और वे 10.30-11.00 बजे मैदान में गए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि P.W.18 और P.W.22 भी गवाही देते हैं कि वसूली के संबंध में सभी दस्तावेज अगले दिन किए गए थे।

9.00 पी एम। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के समय और स्थान के संबंध में भी विसंगति है जो वसूली को संदिग्ध बनाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए कथित वसूली के आधार पर, अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

6.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वसूली को भी स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी को बिना किसी कारण के हिरासत में रखा गया था।

औपचारिक गिरफ्तारी। 6.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सा और फोरेंसिक परीक्षा भी वसूली का समर्थन नहीं करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़ितों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक कठोर और तेज/कुंद वस्तु के कारण शरीर पर कटे हुए घावों की उपस्थिति का संकेत देती है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के कहने पर ऐसा कोई हथियार बरामद नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अपीलार्थी के कारण ऐसे घाव कैसे हुए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के कहने पर कथित वसूली के समय बहुत सारी खामियां हैं, जो एक गंभीर संदेह पैदा करती हैं मनोज सूर्यवंशी बनाम।

वसूली की विश्वसनीयता पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए ऐसी वसूली के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।

7. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने गंभीर अपराध किए हैं। अपीलार्थी को पूरी तरह से (i) अंतिम बार देखे गए साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराने में त्रुटि; (ii) प्रकटीकरण ज्ञापन के अनुसार शवों की बरामदगी और (iii) कथित

लापता बच्चों की खोज के दौरान अपीलार्थी को किए गए कॉल

और अपीलार्थी द्वारा की गई तथाकथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, विशेष रूप से, जब यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, भले ही एक कड़ी गायब हो और श्रृंखला पूरी न हो, जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल अपीलार्थी-अभियुक्त ने ही अपराध किया है, अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

7.1 अब, जहाँ तक विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में मृत्युदंड दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है

न्यायालय के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने मृत्युदंड देते समय शमन और उत्तेजना बढ़ाने वाले कारकों की सराहना नहीं की है और/या उन पर विचार नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने भी उसी दिन मृत्युदंड/सजा का अधिनिर्णय लगाया जिस दिन अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी दोषसिद्धि से संबंधित निर्णय दिए जाने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने उसी दिन सजा की सुनवाई की जब दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, यानी कि धारा 235 (2) के तहत उपबंधित सजा की मात्रा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ताकि वह उन आधारों को दिखा सके जिन पर वह दिखा सके कि आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है न कि मृत्युदंड। इसके समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने छन्नू लाल वर्मा बनाम के मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भरोसा किया है। छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 12 एससीसी 438। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुपस्थिति

सजा के लिए एक अलग सुनवाई प्रदान करना सजा देने की प्रक्रिया को दूषित करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन परिस्थितियों में इस न्यायालय ने पहले

मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। में।

समर्थन, सांता सिंह बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भरता रखी गई है। पंजाब राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 190, राजेश कुमार बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2011) 13 एस. सी. सी. 706 और अजय पंडित @जगदीश बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2012) 8 एससीसी 43।

7.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मृत्युदंड की सजा

टिकाऊ नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने मृत्युदंड देने के लिए केवल अपराध की क्रूरता पर ध्यान दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि मौत की सजा केवल अपराध के आधार पर दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

क्रूरता या अपराध के आसपास की परिस्थितियों पर विचार करना ही मृत्युदंड के मामलों में परिकल्पित सजा देने की कवायद के उद्देश्य को अर्थहीन बनाता है। रिलायंस को बचन सिंह बनाम के मामले में रखा गया है। पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684।

7.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, उच्च न्यायालय ने भी मृत्यु की पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि की है

वाक्य। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने कम करने वाली परिस्थितियों की उचित रूप से सराहना नहीं की है, जैसे कि यह तथ्य कि अभियुक्त हो सकता है समाज में पुनर्स्थापित किया गया और सुधार करने में सक्षम है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि अजय पंडित (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विचार करते समय प्रासंगिक तथ्यों को उजागर करे।

परिस्थितियों को कम करना और सजा देना।

7.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य की सराहना नहीं की है और इस पर विचार नहीं किया है कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी। यह है। प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि अपीलार्थी के सुधार की संभावना है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है

कि उस समय जब कथित अपराध किया गया था, अपीलार्थी 28 वर्ष की कम आयु का था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध करने के समय अपीलार्थी की कम आयु को विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक शमनकारी परिस्थिति के रूप में नहीं माना गया है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गुरवेल सिंह बनाम के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया था। पंजाब राज्य (2013) 2

एस. सी. सी. 713 और अमित बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 4 एससीसी 107।

7.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कालू राम बनाम के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। राजस्थान राज्य [2015] 16 एस. सी. सी. 492, विवेक के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि आजीवन कारावास की सजा दी जाए, और आम तौर पर मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में "अवशिष्ट संदेह" के सिद्धांत के आधार पर मौत की सजा को कम कर दिया है। सुदाम बनाम के

मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 एस. सी. सी. 388 और बाबा विश्वकर्मा बनाम। एम. पी. राज्य (2019) 9 एस. सी. सी. 689।

मनोज सुर्यवंशी बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

7.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जेल में अपीलार्थी का आचरण भी बहुत अच्छा है, जो एक प्रासंगिक विचार भी है -

मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करें।

7.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध के समय अपीलार्थी की भावनात्मक गड़बड़ी एक प्रासंगिक विचार है कि

मृत्युदंड की सजा दें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रासंगिक समय पर अपीलार्थी मृतक नाबालिगों के चाचा के साथ अपनी पत्नी के भागने के कारण भावनात्मक रूप से परेशान था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी का ये कार्य लंबी अवधि की सोची समझी योजना का परिणाम नहीं थे, बल्कि ये अत्यधिक भावनात्मक उथल-पुथल और अशांति की अवधि के दौरान किए गए कार्य थे, जब वे अपनी पत्नी का पता लगाने की कोशिश करने के बाद चंडीगढ़ से दारीपारा वापस आए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त पहलू पर नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है।

एक और बेटी संजना की उम्र लगभग 16 साल थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अपीलार्थी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उस मामले में अपीलार्थी जेल में काम करने और कुछ ऐसा अर्जित करने की स्थिति में होगा जो उसकी माँ और बेटी के लिए सहायक होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक मृत्युदंड की सजा जारी है, अपीलार्थी जेल में कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं होगा। 7.9 अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने आगे कहा है कि कई मामलों में इस न्यायालय ने जघन्य अपराधों के लिए दी गई मौत की सजा को कम कर दिया है। शेख अयूब बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य (1998) 9 एस. सी. सी. 521, अल्लाउद्दीन मियां बनाम। बिहार राज्य (1989) 3 एस. सी. सी. 5, धर्मेंद्रसिंह बनाम। गुजरात राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 679, नेमू राम बोरा बनाम। असम और नागालैंड राज्य (1975) 1 अनुसूचित जाति

318 , राजेश कुमार (ऊपर) और ब्रजेंद्र सिंह बनाम। एम. पी. राज्य (2012) 4 एस. सी. सी. 289। 7.10 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और अपीलार्थी-अभियुक्त को उन अपराधों के लिए बरी किया जाए जिनके लिए वह [2020] 4 एस. सी. आर.

थक गया था। वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की जाती है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए।

8. प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रणव सचदेवा ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

8.1 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है-यह बताएँ कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों दोनों में, विद्वान विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता के तीन नाबालिग बच्चों की हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को सही तरीके से दोषी ठहराया है और नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने सही तरीके से मौत की सजा सुनाई है। 8.2 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है-यह बताएँ कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश एक सुविचारित है और पक्षों को सुनने और सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पारित किया गया है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

8.3 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, तथापि, अभियोजन पक्ष घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करने में सफल रहा है जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि यह केवल आरोपी है जिसने तीन निर्दोष बच्चों की हत्या की थी।

8.4 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

प्रत्यर्थी की ओर से-यह बताएँ कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के बदला लेने के उद्देश्य को साबित करने में सफल रहा है।

और शिकायतकर्ता शिवलाल के तीन नाबालिग बच्चों की हत्या-P.W.18।

8.5 प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी को आखिरी बार उन तीन नाबालिग बच्चों के साथ देखा गया था जिनके शव बाद में आरोपी के कहने पर पाए गए थे।

8.6 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

प्रत्यर्थी की ओर से-यह बताएँ कि अभियुक्त के खिलाफ तीन प्रासंगिक और भौतिक परिस्थितियाँ हैं, अर्थात्, (i) अंतिम बार देखे गए साक्ष्य; (ii) न्यायालय में एक प्रकटीकरण ज्ञापन के अनुसार शवों की बरामदगी। अभियुक्त का उदाहरण और (iii) अभियुक्त को किए गए कॉल विवरण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों के तीन समूह मनोज सुर्यवंशी बनाम हैं।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के खिलाफ पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 8, P.W.13, P.W.16, P.W.18 और P.W.24 की जांच करके साबित किया गया।

8.7 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 2, पी. डब्ल्यू. 5 और <आई. डी. 1 की जांच करके अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि तीनों मृतक तीन नाबालिग बच्चे उस दिन स्कूल गए थे और उसके बाद स्कूल समाप्त होने के बाद, वे एक साथ स्कूल से घर के लिए निकल गए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रासंगिक वृत्तचित्र द्वारा समर्थित है।

सबूत।

8.8 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

प्रत्यर्थी की ओर से-यह बताएँ कि नाबालिग बच्चों को आखिरी बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 की जांच करके अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित और साबित किया गया है।

8.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि नाबालिगों-अजय, विजय और कुमारी साक्षी के शव खुलासे के आधार पर बरामद किए गए थे

ज्ञापन Ex. P-2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक्स. पी-2 और की वसूली अभियुक्त के कहने पर शवों को स्थापित किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे साबित किया गया है, विशेष रूप से, पी. डब्ल्यू. 7, P.W.22 और P.W.24 की जांच करके।

8.10 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

प्रत्यर्थी की ओर से-बताएँ कि जाँच के दौरान अभियुक्त के साथ फोन कॉल हुए थे और बातचीत पूर्व-पी-30-फोन कॉल विवरण द्वारा स्थापित और साबित की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्तों द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की गई है।

8.11 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियुक्त की ओर से आचरण भी, विशेष रूप से, नाबालिग बच्चों के लापता होने की तारीख से लेकर गवाह अशोक कुमार मधुकर के घर से गिरफ्तार होने तक उसकी अनुपस्थिति-एक प्रासंगिक कारक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपी गाँव और अपने घर से अपनी अनुपस्थिति को समझाने में विफल रहा है। 8.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में आरोपी अपने रिश्तेदार अशोक कुमार मधुखर-P.W.13 के घर में पाया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह स्थापित और साबित होता है कि अपराध करने के बाद आरोपी ने अपने रिश्तेदार अशोक के घर में शरण ली थी

कुमार मधुकर-P.W.13। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अशोक कुमार मधुखर [2020] 4 एस. सी. आर. के समक्ष अभियुक्त द्वारा एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति भी थी।

8.13 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तीन नाबालिगों की मौत हत्या थी, जिसे जांच करके स्थापित और साबित किया गया है। जिन डॉक्टरों ने पोस्टमॉर्टम किया।

8.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियोजन पक्ष घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करने में सफल रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अभियुक्त को सही तरीके से दोषी ठहराया है

तीन नाबालिग बच्चों को मार डाला।

9. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 8 के बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं, P.W.18 और अन्य गवाहों का संबंध है, यह प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है-यह बताएँ कि कथित विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त अंतर्विरोधों को भौतिक अंतर्विरोध नहीं कहा जा सकता है जिसके लिए अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकांश गवाह जाँच अधिकारी द्वारा जाँच के दौरान दर्ज की गई धारा 161 Cr.P.C के तहत अपने बयानों के अनुरूप हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बहुत अधिक सुधार नहीं हुए हैं। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी तरह से तथाकथित/कथित विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले और अंतिम बार देखे गए साक्ष्य के संबंध में भौतिक साक्ष्य को प्रभावित नहीं करते हैं; अभियुक्त के कहने पर प्रकटीकरण ज्ञापन के अनुसार शवों की बरामदगी और अभियुक्त के साथ फोन कॉल विवरण और यहां तक कि अभियुक्त के अपराध करने के उद्देश्य को भी प्रभावित नहीं करते हैं।

10. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि बयान से अभियुक्त के खिलाफ दोषपूर्ण परिस्थितियाँ

पी. डब्ल्यू. 1 का बयान धारा 313 Cr.P.C के तहत अपना बयान दर्ज करते समय आरोपी के सामने नहीं रखा गया है, यह प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है-यह बताएँ कि, इस प्रकार, उक्त अनियमितता आरोपी के खिलाफ अंतिम मामले को प्रभावित नहीं करेगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में अभियुक्त का मामला पूर्ण इनकार का है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को बरी नहीं किया जा सकता है।

11. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि अभियुक्त को सजा पर पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था

क्योंकि अभियुक्त को उसी मनोज सुर्यवंशी बनाम पर सजा सुनाई गई थी।

जिस दिन उसे दोषी ठहराया गया था, उस दिन यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त आधार पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजा में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद, अभियुक्त को सजा देने का पूरा मौका दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सजा पर और यहां तक कि मौत की सजा पर भी आरोपी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा किया गया है।

बिगड़ती परिस्थितियाँ और कम करने वाली परिस्थितियाँ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त ने तीन नाबालिग बच्चों का अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी, ऐसे अभियुक्त के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए। यह है।

प्रस्तुत किया कि, इसलिए, यह मौत की सजा देने के लिए एक उपयुक्त मामला है और यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में आएगा। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए और मौत की सजा की पुष्टि की जाए।

13. संबंधित पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना

लंबाई में। हमने विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ विवादित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर भी विस्तार से विचार किया है और विचार किया है।

उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302 और 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने और अभियुक्त बनाए जाने का निर्णय और आदेश। हमने अभिलेख पर साक्ष्य को भी देखा है और विस्तार से विचार किया है-दोनों

मौखिक और वृत्तचित्र।

13.1 अपीलार्थी-अभियुक्त को क्रमशः लगभग 8 वर्ष, 6 वर्ष और 4 वर्ष की आयु के तीन नाबालिग बच्चों की हत्या/हत्या करने का दोषी ठहराया गया है और दोनों ने उसे दोषी ठहराया है। आई. पी. सी. की धारा302 और 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए नीचे दिए गए न्यायालय। विद्वत विचारण न्यायालय, अपीलार्थी को अभियुक्त ठहराने के बाद

उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, मौत की सजा सुनाई गई है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले द्वारा की गई है और आदेश दें।

14. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और इसलिए अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अभियोजन पक्ष को संदेह से परे साबित करना होता है और घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करना होता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह [2020] 4 एस. सी. आर. है।

अकेले अभियुक्त जिसने अपराध किया है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अभियोजन पक्ष घटनाओं की पूरी श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह अपीलकर्ता-अभियुक्त है।

अकेले किसने अपराध किया है?

15. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के साथ-साथ पारित किए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को देखने के बाद

विद्वत विचारण न्यायालय और अभियोजन पक्ष के मामले द्वारा, अपीलार्थी

अभियुक्त को मुख्य रूप से तीन परिस्थितियों के आधार पर दोषी ठहराया गया हैः (i) अंतिम बार देखे गए साक्ष्य; (ii) प्रकटीकरण ज्ञापन के अनुसार शवों की बरामदगी और (iii) लापता बच्चों की खोज के दौरान अपीलार्थी को किए गए कथित कॉल।

16. अभियुक्त की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने से पहले, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए कुछ निष्कर्षों को पहले संदर्भित करने की आवश्यकता होती है। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी की तीन मृत नाबालिग बच्चों के पिता शिवलाल के साथ दुश्मनी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा वही स्थापित और साबित किया गया है

शिवलाल-P.W.18, मनीषा-P.W.20 और रामेश्वर-P.W.11। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि 11.02.2011 पर सभी नाबालिग मृतक अजय, विजय और कुमारी साक्षी अपने घर से स्कूल गए थे। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में भी सफल रहा है कि 11.02.2011 पर लगभग 11.30 घंटों में मृतक नाबालिग पैदल घर के लिए निकल गए; कि नाबालिग अपने घर नहीं लौटे। आई. डी. 1 पर लगभग आई. डी. 2 दोपहर-1 बजे, मृतक को स्कूल की वर्दी में आरोपी के साथ अपने स्कूल बैग के साथ जाते देखा गया। इसलिए, आरोपी को आखिरी बार मृतक नाबालिगों के साथ देखा गया था। कि, घटना के बाद, आरोपी अपने घर पर नहीं मिला और गाँव से भी लापता था। शिवलाल द्वारा खोज के दौरान-P.W.18 और

अन्य और जब आरोपी गाँव में नहीं मिला, तो आरोपी के मोबाइल पर फोन आए। कि, इसके बाद, आरोपी अपने रिश्तेदार अशोक कुमार मधुखर के घर से मिला।

P.W.13। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, उनके द्वारा दिखाए गए स्थान से स्कूल बैग आदि के साथ शव बरामद/पाए गए।

खुद पर आरोप लगाया। उपरोक्त घटनाओं की श्रृंखला है जिसके कारण यह निष्कर्ष निकला कि आरोपी ने पहले तीन नाबालिग बच्चों का अपहरण किया और उसके बाद उन सभी की हत्या कर दी। अभियुक्त को किए गए फोन-कॉल को अभियोजन पक्ष द्वारा मनोज सुर्यवंशी बनाम की जांच करके स्थापित और साबित किया गया है।

अभियुक्त का कहना है कि धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय, पी. डब्ल्यू. 1 के बयान के आधार पर कि उसने आरोपी को मृतक नाबालिगों के साथ दोपहर लगभग 1 बजे देखा था, उसे उसके सामने नहीं रखा गया था और इसलिए, उस हद तक, पी. डब्ल्यू. 1 के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 313 Cr.PC के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करते समय, पीडब्लू. 1 का बयान विशेष रूप से था। संदर्भित किया गया। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पी. डब्ल्यू. 1 के बयान से उत्पन्न एक विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछना, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है। अन्यथा भी, अभियुक्त को आखिरी बार मृतक नाबालिगों के साथ देखा गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा पी. डब्ल्यू. 8-अशोक पटेल की जांच करके यह साबित किया गया है। पी. डब्ल्यू. 8-अशोक पटेल ने अपने बयान में विशेष रूप से कहा है कि उन्होंने आरोपी को सभी तीन नाबालिगों के साथ 11.02.2011 पर लगभग 12.00 घंटे में मृत देखा था। उसने उपस्थित अभियुक्त की पहचान/पहचान कर ली है।

अदालत में। उसने यह भी कहा है कि वह शिकायतकर्ता शिवलाल को जानता था और वह शिवलाल के तीनों नाबालिग बच्चों को पहचानता था। बचाव पक्ष द्वारा उक्त गवाह से पूरी तरह से जिरह की गई है। हालाँकि, प्रतिपरीक्षा से, बचाव पक्ष ऐसा कोई मामला बनाने में विफल रहा है जो या तो विश्वसनीयता और/या उक्त गवाह के पास क्या है, इस पर संदेह कर सकता है।

उसकी जाँच में कहा गया है। आखिरी बार एक साथ देखे गए साक्ष्य पर वह एक स्वतंत्र गवाह है। हम इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। कुछ विरोधाभास हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार, वे

विरोधाभास भौतिक विरोधाभास नहीं हैं, जो उक्त गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह कर सकते हैं और/या अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकते हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी को आखिरी बार तीनों नाबालिग बच्चों के साथ लगभग 12.00 दोपहर को 11.02.2011 पर उनके स्कूल छोड़ने के बाद देखा गया था।

17.1 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे साबित कर दिया है कि तीनों नाबालिग स्कूल गए थे।

आई. डी. 1 की सुबह और उसके बाद वे लगभग [2020] 4 एस. सी. आर. पर घर के लिए रवाना हुए।

11.30 घंटे। कि, इसके बाद, लगभग 12.00 घंटों में, आरोपी को तीनों नाबालिग बच्चों के साथ देखा गया। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अशोक पटेल द्वारा शिवलाल-P.W.18 और अन्य लोगों को यह खुलासा करने के बाद कि उन्होंने आरोपी को तीन नाबालिग बच्चों के साथ 11.02.2011 पर लगभग 11.30 घंटों में देखा था, आरोपी का नाम विशेष रूप से शिवलाल द्वारा 11.02.2011 पर दी गई गुमशुदगी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था और उसी का उल्लेख प्राथमिकी में भी किया गया था। एफ. आई. आर. में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि लापता व्यक्ति संख्या 3/11 की जांच के दौरान, उसने शिकायतकर्ता से पूछताछ की थी और अशोक पटेल और अशोक पटेल ने बताया कि उसने नाबालिग बच्चों को आरोपी के साथ देखा था। इस प्रकार, अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करते हुए, हम पी. डब्ल्यू. 8-अशोक पटेल की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। वह एक स्वतंत्र गवाह है और आरोपी की ओर से उसके खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं है। 18. अब, अभियुक्त के खिलाफ अगला महत्वपूर्ण सबूत शवों की बरामदगी है जो उनके द्वारा दिखाए गए स्थानों से पाए गए थे।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी। जाँच के दौरान, अभियुक्त द्वारा दिखाए गए स्थानों से शव पाए गए, जिन स्थानों के बारे में केवल अभियुक्त ही जान सकता था। इसलिए, अभियुक्त के कहने पर स्कूल की पोशाक और थैलों के साथ शवों की बरामदगी हुई है। यह प्रकटीकरण ज्ञापन से स्थापित और सिद्ध किया गया है। प्रकटीकरण ज्ञापन प्रदर्शित किया गया है। इसलिए, उपरोक्त परिस्थिति निश्चित रूप से अभियुक्त के खिलाफ है।

19. एक अन्य परिस्थिति जो अभियुक्त के खिलाफ जाती है, वह यह है कि तीन नाबालिग बच्चों के लापता होने की घटना के बाद, अभियुक्त

उक्त गवाह के अनुसार, लगभग आई. डी. 1 बजे मनोज ने आरोपी मनोज को फोन किया और उससे पूछा, "तुम कहाँ हो" और आरोपी ने बताया कि वह अपने घर में मौजूद है। कथित गवाह के अनुसार, जब उससे पूछा गया कि क्या शिवलाल के बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिली है, तो आरोपी ने यह भी बताया। शुरू में आरोपी ने जवाब दिया कि वह नहीं जानता। लेकिन, इसके बाद, उन्होंने बताया कि "जब मेरे बच्चे रो रहे थे गुड्डू @शिवलाल आनंद ले रहे थे, अब जब उनके बच्चे याद कर रहे हैं तो वह कैसा महसूस कर रहे हैं"।

19.1 हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आरोपी अपने घर में बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। अभिलेख पर साक्ष्य से, यह प्रतीत होता है कि मनोज सुर्यवंशी बनाम।

9179484724 गिरफ्तारी के समय आरोपी से जब्त किया गया था और जो जब्ती ज्ञापन के अनुसार साबित होता है। इसलिए अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि मोबाइल सिम संख्या 9179484724 आरोपी का था। 20. अभियुक्त के खिलाफ एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य P.W.13-अशोक कुमार मधुकर का बयान है। आरोपी 5 से 6 किलोमीटर दूर लखाराम गांव में स्थित उक्त अशोक कुमार मधुखर के घर में छिपा हुआ पाया गया। यह सच है कि उक्त गवाह मुकर गया है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू 13 ने विशेष रूप से कहा है कि आरोपी मनोज ने उसे बताया कि शिवलाल के बच्चे लापता हो गए थे और शिवलाल ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है

उसके खिलाफ और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसने विशेष रूप से प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसने आरोपी मनोज को इसमें शामिल किया था।

बातचीत और उसके बाद पुलिस आई और मनोज को गिरफ्तार करने के बाद ले गई। इसलिए, यह तथ्य कि आरोपी गांव लखाराम के उक्त अशोक कुमार मधुखर के घर से पाया गया था, अशोक कुमार मधुखर के कहने के बावजूद स्थापित और साबित हो गया है।

शत्रुतापूर्ण हो गए। कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, शत्रुतापूर्ण गवाह के बयान पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिस हद तक यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है। आरोपी धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में अपहरण की घटना के बाद घर और यहां तक कि गांव से लापता होने के बारे में अपने आचरण की व्याख्या करने में विफल रहा है। वह यह भी समझाने में विफल रहे हैं कि उन्हें अशोक कुमार मधुखर के घर से क्यों पाया गया। यह हो सकता है कि बचाव पक्ष द्वारा उस स्थान के बारे में कुछ संदेह पैदा किया गया हो जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, तथ्य यह है कि आरोपी को लखाराम गाँव से 13.02.2011 पर गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपी को 12.02.2011 शाम को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन यह स्थापित नहीं है और सबूतों से साबित नहीं होता है। इसके विपरीत, अशोक कुमार [2020] 4 एस. सी. आर. के बयान के अनुसार।

मधुर, उन्हें 13.02.2011 पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार भी आरोपी को 13.02.2011 पर गिरफ्तार किया गया था। इसके तुरंत बाद, जांच के दौरान और प्रकटीकरण ज्ञापन के अनुसार, आरोपी के कहने पर मृतक नाबालिग बच्चों के शव बरामद किए गए। इसलिए, इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित और साबित की गई घटनाओं की श्रृंखला निम्नानुसार हैः

(1) कि तीनों नाबालिग बच्चे 11.02.2011 की सुबह स्कूल गए; (2) कि तीनों नाबालिग बच्चे 11.02.2011 पर सुबह लगभग 11.30 बजे स्कूल से निकले;

(3) कि अभियुक्त को आखिरी बार मृतक नाबालिगों के साथ लगभग 12.00 घंटे-दोपहर 1 बजे 11.02.2011 पर देखा गया था;

(4) यह कि आरोपी और शिकायतकर्ता शिवलाल-मृतक नाबालिग बच्चों के पिता के बीच पहले से दुश्मनी थी क्योंकि आरोपी की पत्नी शिवलाल के भाई के साथ भाग गई थी और आरोपी के बच्चे अपनी मां के बिना थे और इसलिए उसने बदला लिया कि अगर उसके बच्चे लापता हैं तो शिवलाल को कैसा लगेगा;

(5) कि अपहरण की घटना के समय से आरोपी अपने घर और यहाँ तक कि गाँव से भी लापता था;

(7) कि वह अशोक कुमार मधुकर के घर में छिपा हुआ था और उसे अशोक के घर से गाँव लखाराम से गिरफ्तार किया गया था 13.02.2011 पर और/या कम से कम गाँव लखाराम से कुमार मधुखर;

(8) अभियुक्त द्वारा दिखाए गए स्थान से नाबालिग बच्चों के शवों की बरामदगी, जो स्थान/स्थानों से बरामद किए जाते हैं

जिसे केवल अभियुक्त ही जान सकता था; और

(9) कि नाबालिगों की मौत हत्या थी।

21. अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील के अनुसार, विभिन्न गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं, अधिक

विशेष रूप से, पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 8 ने बताया कि उन्होंने आरोपी को नाबालिग बच्चों के साथ 11.02.2011 पर देखा था और यहां तक कि टेलीफोन कॉल के संबंध में भी और 11.02.2011 के बाद आरोपी से बात की थी। हालाँकि, अभियुक्त और अन्य मनोज सुर्यवंशी बनाम की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा बताए गए तथाकथित विरोधाभासों पर विचार करने के बाद।

साक्ष्य, हमारी राय है कि वे अंतर्विरोध भौतिक अंतर्विरोध नहीं हैं जो अंततः अभियोजन के मामले को प्रभावित कर सकते हैं।

समग्र रूप से। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियां और विसंगतियां और पुलिस के नेतृत्व में जांच में मामूली कमी पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने का कारण नहीं हो सकती है, अगर सबूत अन्यथा पर्याप्त हैं और आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए प्रेरक हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने लीमा राम बनाम के मामले में कहा था। हरियाणा राज्य [ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3717], विभिन्न गवाहों के विवरणों के बीच कुछ विसंगतियां होना तय है, जब वे विवरण पर बोलते हैं, और जब तक कि विरोधाभास एक भौतिक आयाम के नहीं होते हैं, तब तक इसका उपयोग साक्ष्य को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि आपराधिक मामलों में गणितीय बारीकियों के साथ साक्ष्य की पुष्टि की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मामूली अलंकरण हो सकता है, लेकिन कारण से भिन्नताओं को साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाना चाहिए। तुच्छ विसंगतियाँ नहीं होनी चाहिए

अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य को मिटा दें। न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि अलग-अलग गवाह अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं: जबकि कुछ अवाक हो जाते हैं; कुछ रोने लगते हैं जबकि कुछ अन्य घटनास्थल से भाग जाते हैं और फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो साहस, दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ आगे आ सकते हैं कि गलत को ठीक किया जाना चाहिए। इसलिए यह व्यक्तियों और व्यक्तियों पर निर्भर करता है। मानव प्रतिक्रिया का कोई निर्धारित पैटर्न या समान नियम नहीं हो सकता है और एक को त्याग दिया जा सकता है

22. इस प्रकार, ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखने में कोई त्रुटि नहीं की है आई. पी. सी. की धारा 302 और 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त। हम लगभग 8 वर्ष, 6 वर्ष और 4 वर्ष की आयु के तीन नाबालिग बच्चों की हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 302 और 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

क्रमशः। 23. अब, जहाँ तक विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मृत्युदंड का संबंध है, यह मामला [2020] 4 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी की ओर से-अभियुक्त कि जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को उसी दिन सजा सुनाई थी जिस दिन दोषसिद्धि दर्ज की गई थी और इस तरह की त्रुटि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा की गई है और इसलिए यह सजा के निर्णय को दूषित करता है, सांता सिंह (ऊपर), अलाउद्दीन मियां (ऊपर), राजेश कुमार (ऊपर), अजय पंडित @जगदीश (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों और छन्नू लाल वर्मा (ऊपर) में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भरोसा किया गया है। उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, धारा 235 (2) Cr.P.C के उद्देश्य पर विचार किया जाना आवश्यक है। धारा 235 (2) Cr.P.C का उद्देश्य और उद्देश्य यह है कि अभियुक्त को उस पर लगाए जाने वाले दंड के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए। धारा 235 की उप-धारा (2) एक दोहरे उद्देश्य को संतुष्ट करती है; यह अभियुक्त को एक अवसर प्रदान करके प्राकृतिक न्याय के नियम को संतुष्ट करती है -

सजा के सवाल पर सुनवाई होने से और साथ ही अदालत को दी जाने वाली सजा चुनने में मदद मिलती है। अतः इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि सजा सुनाने के समय अभियुक्त को पर्याप्त और उचित अवसर दिया गया है या नहीं और कब दिया गया है।

मृत्युदंड दिया जाता है, क्या अभियुक्त को परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों को इंगित करने का अवसर दिया गया है या नहीं? अभियुक्त 'X' v के मामले में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। 2007 की आपराधिक अपील संख्या 680 दिनांक 12.04.2019 में 2008 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 301 में महाराष्ट्र राज्य। इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर अब निर्भरता रखी गई है, जिन्हें यहाँ ऊपर संदर्भित किया गया है, उन्हें सेवा में लगाया गया था। इस न्यायालय के पास अभियुक्त की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने का अवसर था, विशेष रूप से, उसी दिन दोषसिद्धि और सजा जिस दिन दोषसिद्धि दर्ज की गई थी। पैराग्राफ 29 से 34 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 29. इस पहलू पर इस न्यायालय के हाल के दो तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले हमारे विचार के योग्य हैं। सबसे पहले, छन्नू लाल वर्मा बनाम में दिनांकित 28.11.2018 निर्णय में। छत्तीसगढ़ राज्य (आपराधिक अपील सं। 1482-1483 2018), इस न्यायालय ने कहा कि मुकदमे के चरण में अलग से सुनवाई नहीं होना एक प्रक्रियात्मक अनुचितता थी। यह देखते हुए कि संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार, (2009) 6 एस. सी. सी. 498 में दोषसिद्धि और सजा के लिए एक द्विभाजित सुनवाई एक आवश्यक शर्त थी, न्यायालय ने कहा कि मनोज सुर्यवंशी बनाम पर सजा के लिए सुनवाई आयोजित करके।

छत्तीसगढ़ राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

उसी दिन, विचारण न्यायालय अपीलार्थी को सजा और शमन के लिए प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करने में विफल रहा। हम पाते हैं कि इसका यह अर्थ नहीं लिया जा सकता है कि इस न्यायालय का इरादा, कानून के प्रस्ताव के रूप में, उस सुनवाई को निर्धारित करना था

उसी दिन सजा सुनाने के लिए अभियुक्त जो दोषसिद्धि के लिए है, मुकदमे को दूषित कर देगा। इसके विपरीत, उक्त मामले में, यह था तथ्यों पर पाया गया कि यह एक प्रक्रियात्मक अनुचितता थी क्योंकि अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था

सजा और शमन के लिए प्रासंगिक।

30. दूसरा, राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक बनाम में दिनांकित 12.12.2018 निर्णय में। महाराष्ट्र राज्य, (समीक्षा याचिका (सीआरएल)) नं. 306-307 2013), इस न्यायालय ने एक सामान्य टिप्पणी की कि उन मामलों में जहां मृत्युदंड दिया जा सकता है, परीक्षण

अदालत को दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी को एक अवसर देना चाहिए जो मौत की सजा के औचित्य के सवाल पर प्रासंगिक सामग्री पेश करने के लिए पर्याप्त हो। यह स्पष्ट रूप से प्रकृति में सबसे अच्छी निर्देशिका है और इसका मतलब यह नहीं लिया जा सकता है कि एक अलग तारीख पर पूर्व-वाक्य सुनवाई अनिवार्य है।

31. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि मलकियत सिंह मामले (1991) 4 एस. सी. सी. 341 में इस अदालत के पुराने तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, अदालत ने कहा कि दो-अलाउद्दीन मियां मामले (ऊपर) और अगुस्वामी बनाम में न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों को ध्यान में रखते हुए। राज्य

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय द्वारा वसंत संपत मामले में मलकियत सिंह मामले (उपरोक्त) के प्रभाव पर पहले ही विचार किया जा चुका है। डुपारे वी। महाराष्ट्र राज्य (2017) 6 एस. सी. सी. 631, जिसमें पहले से ही यह उल्लेख किया गया था कि एक अलग तिथि पर सजा-पूर्व सुनवाई का केवल गैर-संचालन मुकदमे को दूषित नहीं करेगा यदि आरोपी को प्रासंगिक रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है।

अभिलेख पर सामग्री।

32. यह ध्यान देना संदर्भ से बाहर नहीं हो सकता है कि यदि अभियुक्त को न्यूनतम सजा देने का प्रस्ताव किया जाता है, तो धारा 235 (2) के तहत अवसर प्रदान करने का सवाल ही नहीं उठेगा।

(देखें तरलोक सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1977) 3 एस. सी. सी. 218; रामदेव

चौहान बनाम। असम राज्य (2001) 5 एस. सी. सी. 714)।

33. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सजा पर सुनवाई के स्तर पर, आम तौर पर, अभियुक्त कम सजा देने के लिए अपने पक्ष में कम करने वाली परिस्थितियों के आधार पर तर्क देता है। दूसरी ओर, राज्य/शिकायतकर्ता उच्च सजा के अधिरोपण से संबंधित विवाद का समर्थन करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ गंभीर परिस्थितियों के आधार पर बहस करेगा। Cr.P.C की धारा 235 (2) का उद्देश्य अभियुक्त को परिस्थितियों को कम करने का अवसर प्रदान करना है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निचली अदालत सजा पर पक्षों को सुनने के लिए मामले को एक या दो दिनों के लिए स्थगित करके ही आई. डी. 1 की धारा 235 (2) की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। अगर आरोपी तैयार है

उसी दिन इस पहलू पर अपनी दलीलें प्रस्तुत करें

34. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारी राय है कि जब तक धारा 235 (2) की भावना और उद्देश्य पूरा होता है, जब तक कि अभियुक्त को एक वास्तविक और प्रभावी अवसर प्रदान किया जाता है सजा सुनाने के संबंध में अपने मामले की पैरवी करें, चाहे वह केवल मौखिक प्रस्तुतियों के माध्यम से हो या प्रासंगिक सामग्री को रिकॉर्ड पर लाकर, सजा सुनाने से पहले की सुनवाई पर उसी दिन होने पर कोई रोक नहीं है जिस दिन पूर्व-दोषसिद्धि सुनवाई होती है। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, सजा पर सुनवाई के लिए एक अलग तारीख की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यदि पक्षकार ऐसा करना चाहते हैं तो उसी दिन सजा के सवाल पर बहस करने की समान रूप से अनुमति है।

इस प्रकार, कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि किसी भी मामले में एक ही दिन दोषसिद्धि और सजा न हो। इस न्यायालय द्वारा किसी भी निर्णय में निर्धारित कानून की कोई पूर्ण शर्त नहीं है कि यदि प्रवेश उसी दिन दिया जाता है जिस दिन दोषसिद्धि हुई थी, तो सजा को दूषित कर दिया जाएगा।

23.1 जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के निर्णय पर दी गई निर्भरता का संबंध है -

सांता सिंह (उपरोक्त) के मामले का संबंध है, पूरे फैसले और उस मामले के तथ्यों पर विचार करने पर, हमारी राय है कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा और/या यह अभियुक्त को किसी भी सहायता का नहीं होगा। इस न्यायालय के समक्ष उस मामले में, यह पाया गया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को उस पर लगाई जाने वाली सजा के संबंध में सुनवाई का अवसर नहीं दिया और एक ही निर्णय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा भी सुनाई।

23.2 इसी प्रकार, अलाउद्दीन मियां (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

हाथ। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, यह पाया गया कि निचली अदालत द्वारा धारा 235 (2) Cr.P.C के तहत सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना मौत की सजा सुनाई गई थी। मौत की सजा देने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था जो कि अनिवार्य था और उसके बाद गुण-दोष के आधार पर इस न्यायालय ने पाया कि मौत की सजा का कोई वारंट नहीं था।

23.3 उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, विशेष रूप से, अभियुक्त 'एक्स' (उपरोक्त) के मामले में मामले के तथ्यों पर और विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने पर, हमारी राय है कि धारा 235 (2) के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को सजा के प्रस्ताव के पहलू पर अलग से सुना जो विद्वत विचारण न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 76 से 82 से स्पष्ट है। इसलिए, अभिलेख की सामग्री के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि विद्वत विचारण न्यायालय ने धारा 235 (2) Cr.P.C की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से इंगित की गई कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया था और उन गंभीर परिस्थितियों पर भी विचार किया था जो

मौत की सजा का आश्वासन दिया। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सजा पर अपना मामला रखने का कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने मृत्युदंड देते समय कोई विशेष कारण नहीं बताया है। गम्भीरकारी परिस्थितिसभ आ अपराध अर्थात अपहरण आ ओकर पश्चात तीनटा नाबालिक बच्चाक हत्याक रूपमे अपराधक परिमाण आ तरीका पर विचार करबाक पश्चात विद्वत विचारण न्यायालय मृत्युदण्डक सजा सुनाबैत अभियुक्तक विरुद्ध निम्नलिखित गम्भीरकारी परिस्थितिसभ पर विचार कयलक अछि।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" उ. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आरोपी शिवलाल (पीडब्लू-18) से नाराज था क्योंकि घटना से 10 दिन पहले उसकी पत्नी सुम्रित बाई शिवलाल (पीडब्लू-18) के भाई से भाग गई थी या भाग गई थी क्योंकि सुम्रित बाई और उसके बीच प्रेम संबंध था।

नाबालिगों के चाचा अजय, विजय और साक्षी की मौत हो गई। इस संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य भी उपलब्ध हैं।

बी. साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि आरोपी से परिचित होने और आरोपी पर विश्वास होने के कारण तीनों नाबालिग निर्दोष अजय, विजय और साक्षी आरोपी के साथ स्कूल छोड़ गए और लापता हो गए। इसलिए, उल्लंघन

अभियुक्त के तीनों निर्दोष नाबालिगों का विश्वास है

अपहरण का अपराध किया।

ग. यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

सभी तीन नाबालिगों अजय, विजय और साक्षी की हत्या, जिनकी उम्र 4 से 8 साल के बीच थी। नाबालिगों के चाचा शिवनाथ के साथ आरोपी की पत्नी के भागने की घटना और नाबालिगों की गैर-इरादतन हत्या करने की तारीख के बीच 10 दिनों का पर्याप्त समय अंतराल था। इसलिए, अभियुक्त का कार्य गंभीर और अचानक उकसावे के तहत किया गया कार्य नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधिनियम

अभियुक्त पर सुनियोजित तरीके से विचार किया जाता है।

डी. यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त ने तीनों नाबालिगों अजय, विजय और साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी है और उनकी गर्दन को जबरन संसाधित किया है, जिन्हें अपनी पत्नी सुम्रित बाई के भागने के मामले से कोई लेना-देना नहीं है। ई. यह भी काफी है कि आरोपी ने बेरहमी से, निर्दयता से किया है

और कायरतापूर्ण तरीके से तीनों नाबालिगों अजय, विजय और साक्षी की हत्या कर दी, जो 4 से 8 साल की कम उम्र के थे और उस समय विरोध करने और अपना बचाव करने में पूरी तरह से असमर्थ थे।

घटना की।

च. उक्त कृत्य को करने के समय अभियुक्त के दो बच्चे थे जो इस पर सोच रहे थे कि अभियुक्त को उक्त कार्य नहीं करना था। अभियुक्त द्वारा किए गए उक्त कार्य के आलोक में उनके नाबालिग बच्चों को बनाए रखने का सवाल गौण है। जी यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का उक्त कार्य वह कार्य है जो समाज की सामाजिक सुरक्षा को चुनौती देता है। मनोज सुर्यवंशी बनाम।

इस प्रकार, अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि सजा उसी दिन दर्ज की गई थी जिस दिन दोषसिद्धि दर्ज की गई थी और इसलिए इसने सजा के पुरस्कार को दूषित कर दिया है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन है।

धारा 235 (2) के साथ-साथ धारा 354 Cr.P.C। 24. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि मृत्युदंड देते समय विद्वत विचारण न्यायालय ने केवल

अपराध की क्रूरता को देखते हुए, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्रतिद्वंद्वी चर्चाओं के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युदंड देते समय दिए गए कारणों पर विचार करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध की क्रूरता को एक कारण माना गया था न कि एकमात्र कारण।

25. हालाँकि, साथ ही, अभियुक्त की ओर से मृत्युदंड न देने और उसे आजीवन कारावास में बदलने की प्रार्थना

कारावास, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विचार की आवश्यकता है। इसलिए, अब इस न्यायालय के विचार के लिए जो सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मौत की सजा की आवश्यकता है?

25.2 मृत्युदंड देने पर इस न्यायालय के कई फैसलों का विश्लेषण करने के बाद, अर्थात् बचन सिंह (ऊपर); माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 470; मोहम्मद चमन वी। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2001) 2 एस. सी. सी. 28; आलोक नाथ दत्ता बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य (2007) 12 एस. सी. सी. 230; पंजाब राज्य बनाम। मंजीत सिंह (2009) 14 एस. सी. सी. 31; संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498; सेबेस्टियन बनाम। केरल राज्य (2010) 1 एस. सी. सी. 58; राजेश कुमार (ऊपर); रमेश बनाम। राजस्थान राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 685; अमित (ऊपर); और मोहिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2013) 3 एस. सी. सी. 294, वे निर्णय जिन पर अभियुक्त की ओर से भरोसा किया गया था और राज्य की ओर से मौत की सजा से जुड़े इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर विचार करने के बाद, अंततः, सुशील शर्मा बनाम के मामले में यह न्यायालय। दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) (2014) 4 एस. सी. सी. 317 ने पैराग्राफ 100 104 में निम्नानुसार अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 100. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, अब हम यह पता लगाएंगे कि हमें किन कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है [2020] 4 एस. सी. आर.

वाक्य के प्रश्न का निर्णय करते समय। निस्संदेह, हमें इस मामले में परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए और सही संतुलन बनाना चाहिए। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या इस मामले में कुछ असामान्य है जो सजा को आजीवन कारावास में अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा का आह्वान करता है। यह भी देखना आवश्यक है कि क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कम करने के लिए अधिकतम महत्व के अनुसार मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

परिस्थितियाँ जो अपराधी के पक्ष में बोलती हैं।

101. हम उपरोक्त निर्णयों से देखते हैं कि केवल क्रूरता

अनुमोदक का साक्ष्य। जहां हत्या, हालांकि क्रूर है, अत्यधिक भावनात्मक अशांति से प्रेरित है और इसका बहुत बड़ा अनुपात नहीं है, कुछ मामलों में आजीवन कारावास के विकल्प का प्रयोग किया गया है। मृत्युदंड न देने के लिए अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ अत्यधिक गरीबी और सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखा गया है। कुछ मामलों में, मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए अभियुक्त द्वारा मौत की कोठरी में बिताए गए समय को अन्य परिस्थितियों के साथ ध्यान में रखा गया है। कारावास। जहां अभियुक्त की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी; जहां राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया था कि अभियुक्त सुधार और पुनर्वास से परे है या वह भविष्य में इसी तरह के अपराधों में वापस आ जाएगा, यह न्यायालय आजीवन कारावास के पक्ष में झुक गया है। ऐसे मामलों में, आनुपातिकता का सिद्धांत और निरोध का सिद्धांत पीछे रह गए हैं। सुधार और पुनर्वास का सिद्धांत प्रतिशोध के विचार पर हावी रहा है।

102. दूसरी ओर, बलात्कार के बाद एक नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या और उसके बाद उसका अनादर किया गया। पीड़ित के शरीर को अक्सर मौत की सजा वाले अपराध के रूप में माना गया है। कभी-कभी, हत्या की योजना के पूर्वकल्पना और सावधानीपूर्वक निष्पादन को प्रदर्शित करने वाले मामले, पीड़ित पर उसे नष्ट करने के लिए एक सुनियोजित हमला करके, मौत की सजा देने के लिए उपयुक्त मामले माने गए हैं। जहाँ निर्दोष नाबालिग बच्चे, मनोज सुर्यवंशी बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

निहत्थे व्यक्तियों, असहाय महिलाओं और बूढ़े और कमजोर व्यक्तियों को प्रभावशाली स्थिति में व्यक्तियों द्वारा क्रूर तरीके से मार दिया गया है, और जहां अपमानजनक मानसिकता प्रदर्शित करने वाली भयानक हत्या के बाद, अभियुक्तों ने कोई पछतावा नहीं दिखाया है, मौत की सजा दी गई है। जहाँ यह स्थापित किया जाता है कि अभियुक्त की पुष्टि हो चुकी है

यह असंभव है और अगर उसे रिहा किया जाता है, तो वह समाज के लिए एक खतरा होगा, इस अदालत ने मौत की सजा की पुष्टि करने में संकोच नहीं किया है। कई बार, क्रूर हत्या के मामलों में, भ्रष्टता और बीमार दिमाग का प्रदर्शन करते हुए, इस न्यायालय ने एक निवारक संदेश भेजने की आवश्यकता को स्वीकार किया है उन लोगों के लिए जो भविष्य में इस तरह के अपराध कर सकते हैं। क्रूर हत्याओं से जुड़े कुछ मामलों में, न्याय के लिए समाज की पुकार पर इस न्यायालय द्वारा अन्य प्रासंगिक कारकों के साथ ध्यान दिया गया है। लेकिन, एक बात निश्चित है कि यह तय करते समय कि मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं, इस न्यायालय ने प्रत्येक मामले में सजा की अपरिवर्तनीय प्रकृति को महसूस किया है, इस मुद्दे पर कई बार विचार किया है। इस अदालत ने हमेशा बचन सिंह [बच्चन] मामले में संविधान पीठ द्वारा दी गई सावधानी को ध्यान में रखा है।

सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] कि न्यायाधीशों को कभी भी रक्तपिपासु नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज के हित में जहां भी आवश्यक हो, उन्होंने दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले का पता लगाया है और मृत्युदंड के कठिन विकल्प का प्रयोग किया है। 103. चीजों की प्रकृति में, कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकते हैं जिनका न्यायालय इस बात पर विचार करते हुए पालन कर सकता है कि क्या

अभियुक्त को मौत की सजा दी जानी चाहिए या नहीं। आपराधिक मामले का मूल तथ्य होता है और तथ्य हर मामले में अलग-अलग होते हैं। इसलिए, विभिन्न कारक जैसे कि अपराधी की उम्र, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी पृष्ठभूमि, क्या वह एक पुष्ट अपराधी है

या नहीं, क्या उसका कोई पूर्ववृत्त था, क्या उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना है या क्या यह एक ऐसा मामला है जहां सुधार असंभव है और क्या आरोपी के भविष्य में ऐसे अपराधों में वापस आने और समाज के लिए खतरा बनने की संभावना है, ये ऐसे कारक हैं जिनकी आपराधिक अदालत को प्रत्येक मामले में स्वतंत्र रूप से जांच करनी होगी। मृत्युदंड देना है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिचर परिस्थितियों में इस न्यायालय के कई आधिकारिक निर्णयों में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में लिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

104. हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि न्यायिक कार्यवाही को अंतिम रूप देने में लंबा समय लगता है, लेकिन यह मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आधार नहीं होगा।

कारावास। इस संबंध में कानून को अच्छी तरह से तय किया गया है।

त्रिवेणीबेन में [त्रिवेणीबेन बनाम। गुजरात राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 678: 1989 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 248] अंतिम फैसला सुनाए जाने तक अदालतों द्वारा लिया गया समय मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के प्रचार में अभियुक्त की सहायता के लिए नहीं आ सकता है। त्रिवेणीबेन में [त्रिवेणीबेन बनाम। गुजरात राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 678: 1989 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 248], संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि हालांकि सामान्य रूप से, यह उम्मीद की जाती है कि इस न्यायालय में भी, जिन मामलों में मृत्युदंड शामिल है, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी सुनवाई की जाएगी और जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि जब तक मामला इस मामले में लंबित है।

किसी भी न्यायालय में, अंतिम निर्णय से पहले, यहां तक कि जिस व्यक्ति की निंदा की गई है या जिसे मौत की सजा सुनाई गई है, उसके पास भी

उम्मीद है। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि वह उस मानसिक यातना का सामना करता है जो एक व्यक्ति को तब होती है जब वह जानता है कि उसे फांसी दी जानी है, लेकिन वह कयामत के दिन का इंतजार करता है। इसलिए, अपीलार्थी इस तथ्य से कोई समर्थन नहीं ले सकता है कि आदेश के दिन से अंतिम निर्णय तक अपराध को एक लंबा समय बीत चुका है। यह याद रखना चाहिए कि निष्पक्ष सुनवाई अभियुक्त का अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई में सही प्रक्रिया का पालन करना और उन्हें अवसर देना शामिल है -

अभियुक्त अपने बचाव को संभव बनाने के लिए। इस तरह के मामले में जल्दबाजी में निर्णय अपीलार्थी के हित में नहीं हो सकता है।

25.3 अबसार आलम बनाम के मामले में। बिहार राज्य (2012) 2 एस. सी. सी. 728, इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति, जिसके कारण हमला हुआ, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति या मन की स्थिति उन कारकों में से एक है जिन्हें सजा के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।

25.4 इस प्रकार, इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, विशेष रूप से, सजा के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों, गंभीर परिस्थितियों और कम करने के लिए।

परिस्थितियों का पता लगाया जाना चाहिए और सही संतुलन अपनाया जाना चाहिए। बचन सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जिन परिस्थितियों को कम करने वाला कहा जा सकता है, उन पर विचार किया गया है। के रूप में बचन सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा कहा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों को कम करने वाली कहा जा सकता है जिन पर मृत्युदंड के मुद्दे पर निर्णय लेते समय विचार किया जाना आवश्यक है।

" (1) कि अपराध प्रभाव में किया गया था

अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति।

(2) अभियुक्त की आयु। यदि अभियुक्त जवान या बूढ़ा है,

उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी।

(3) अभियुक्त द्वारा अपराध न करने की संभावना

हिंसा के आपराधिक कृत्य जो एक निरंतर खतरे का गठन करेंगे

समाज के लिए।

(4) अभियुक्त के सुधार की संभावना और

पुनर्स्थापित किया गया।

राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त

उपरोक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा नहीं करता है।

(5) कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि वह अपराध करने में नैतिक रूप से उचित था। अपराध।

(6) कि अभियुक्त ने दबाव या प्रभुत्व के तहत काम किया

(7) कि अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसकी क्षमता को बाधित कर दिया था उसके आचरण की आपराधिकता की सराहना करने के लिए।

25.5 उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, अब हम उन कारकों का पता लगाएंगे जिन पर हमें निर्णय लेते समय विचार करने की आवश्यकता है -

वाक्य का प्रश्न। हमें इस मामले में बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए और एक सही संतुलन बनाना चाहिए। वर्तमान मामले में, निम्नलिखित कम करने वाले कारक/परिस्थितियाँ हैं:

(i) कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था। आरोपी भावनात्मक रूप से परेशान था

मृतक के चाचा के साथ उसकी पत्नी के भागने के कारण और उसके बच्चे अपनी माँ के अभाव में पीड़ित थे। आरोपी इतना परेशान था और एक गवाह के बयान से परेशान भी हुआ कि आरोपी ने मोबाइल पर बताया कि शिवलाल अपने बच्चों के बिना कैसा महसूस कर रहा है।

((ii) कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

((ग) अपराध के समय अभियुक्त की आयु 28 वर्ष थी और जेल में उसका आचरण अच्छा बताया गया है।

((iv) कि वह एक गरीब परिवार से है और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है, और

(v) कि उसकी एक बूढ़ी माँ है जो अभियुक्त की दो बेटियों की देखभाल कर रही है, जिनमें से एक अब शादीशुदा है।

25.6 दूसरी ओर, केवल परेशान करने वाली स्थिति ने इशारा किया

राज्य द्वारा यह बताया गया है कि जिस तरह से घटना हुई और तीन नाबालिगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उपरोक्त के अलावा, राज्य की ओर से कोई अन्य भयावह परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, बिगड़ती परिस्थितियों और कम करने के बीच संतुलन बनाना।

परिस्थितियों में, हमारी राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से, अभियुक्त की मानसिक स्थिति

एक घृणित अपराध के लिए सजा। यह भी उतना ही सच है कि बड़ी संख्या में अपराधियों को दंडित नहीं किया जाता है जिससे समाज और कानून में बढ़ते अपराधी अपने निवारक प्रभाव को खो देते हैं। यह भी सच है कि किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के परिणामस्वरूप अक्सर न्याय की विफलता होती है और न्याय वितरण प्रणाली संदिग्ध बन जाती है; अंतिम विश्लेषण में, समाज पीड़ित होता है और एक अपराधी प्रोत्साहित होता है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि केवल अपराधियों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है, पीड़ितों को भुला दिया जाता है। हालाँकि, साथ ही, दुर्लभतम से दुर्लभतम दंड, अर्थात मृत्युदंड, अधिरोपित करते समय, न्यायालय को अपराध की कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करना चाहिए और यह विशेष और गंभीर परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ। बचन सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखी गई कम करने वाली परिस्थितियों और वर्तमान मामले में कम करने वाली परिस्थितियों पर, यदि संचयी और अधिक विशेष रूप से विचार किया जाए, कि अभियुक्त ऊपर बताए गए कारणों से अत्यधिक मानसिक अशांति में था, तो हमारी राय है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है और इसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

26. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश और 43 को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई

एचआई वी। छत्तीसगढ़ राज्य

. आर. शाह, जे.]

आई. पी. सी. की धारा 302 और 364 के तहत ए है।

विद्वान द्वारा अधिरोपित मृत्युदंड

वह उच्च न्यायालय, जीवन में परिवर्तित हो जाता है

सेवा की और निर्देशित किया कि जीवन का अर्थ है

आरथर अवलोकन और दिशा कि वहाँ

जब तक अभियुक्त के 25 वर्ष पूरे नहीं हो जाते।

बी.

उपरोक्त सीमा तक कलात्मक रूप से अनुमति दी गई।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।